मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक सी-12-39/91/3/1 भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 1991

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष
समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—एक वर्ष से अधिक समय तक निलंबित शासकीय सेवकों के मामलों की समीक्षा करना.

संदर्भ.—इस विभाग के परिपत्र क्रमांक 6-2-78-3-एक, दिनांक 27-9-78, क्रमांक 6-2-78-3-1, दिनांक 16-11-79 एवं क्रमांक एफ 6-2-78-3-1, दिनांक 9-4-80.

संदर्भित ज्ञापन दिनांक 27-9-78 में, जो शासकीय सेवक एक वर्ष से अधिक समय तक निलंबन में है, उनको सेवा में बहाल करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली का विस्तृत उल्लेख किया गया है. जिन मामलों में शासकीय सेवक के विरुद्ध जांच, विभागीय जांच आयुक्त द्वारा की जा रही हो, उनमें यदि शासकीय पक्ष के गवाहों के परीक्षण का कार्य पूर्ण हो गया हो तो राज्य सतर्कता आयुक्त (अब लोकायुक्त) का मत प्राप्त किया जाकर, संबंधित आरोपी शासकीय सेवक को निलंबन से बहाल करने की कार्यवाही तुरन्त की जा सकती है. अन्य मामलों में, शासकीय पक्ष के गवाहों के परीक्षण का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद, अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी का मत प्राप्त किया जाकर प्रत्येक मामले में विचार किए जाने हेतु संदर्भित ज्ञापन दिनांक 27-9-78 एवं 9-4-80 के अनुसार, गठित समितियों के समक्ष विचार करने के लिये प्रस्तुत किए जायेंगे. इन प्रकरणों में समिति अपनी सिफारिश एक सप्ताह के भीतर अनुशासिक प्राधिकारी को भेजेगी. इस समिति की सिफारिश पर संबंधित अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाकर निलंबित शासकीय सेवक को, सेवा में बहाल करने की कार्यवाही तुरन्त की जाएगी.

2. शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कई विभागों द्वारा विभागीय जांच में एक वर्ष से अधिक समय तक निलंबित शासकीय सेवकों के मामलों में उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, तथा आरोपी शासकीय सेवक वर्षों तक निलंबन में रहते हैं एवं विभागीय जांच समाप्त होने के उपरान्त उन्हें निलंबन से बहाल किया जाता है. यदि उक्त शासकीय सेवक उक्त विभागीय जांच से बिना दण्ड के छूट जाता है तो शासन को अनावश्यक रूप से उसे निलंबन काल का पूरा वेतन एवं भत्ता देना पड़ता है, यह कार्यवाही शासन द्वारा जारी निर्देशों/आदेशों के अनुरूप नहीं है एवं विभागों की ढिलाई के कारण शासन को अनावश्यक रूप से भारी राशि का भुगतान करना पड़ता है, जबकि उक्त शासकीय सेवक उक्त अवधि में कोई कार्य सम्पादित नहीं करता.

3. वर्तमान प्रावधान एक वर्ष से अधिक निलंबन अवधि वाले प्रकरणों की समीक्षा का है, किन्तु शासकीय सेवक अलग-अलग महीनों में निलंबित होने के कारण एक वर्ष की अवधि अलग-अलग माहों में पूरी करते हैं, अत: किसी भी प्रकरण में जैसे ही एक वर्ष पूर्ण हो जाए, तुरन्त उसकी समीक्षा करना व्यावहारिक नहीं होगा.

4. अत: शासन के अब निर्देश हैं कि ऐसे प्रकरणों की समीक्षा वर्ष में दो बार अर्थात् 15 जनवरी एवं 15 जुलाई माह में निश्चित रूप से की जाए. प्रशासकीय विभाग कृपया सुनिश्चित करें कि उनके अधीन निलंबित शासकीय सेवकों के प्रकरणों की समीक्षा उपरोक्त कार्यक्रम के अंतर्गत हो रही है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता/-
(ओमप्रकाश मेहरा)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्रमांक सी 12-39/91/3/1 भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 1991

प्रतिलिपि :

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर.
लोकायुक्त, म. प्र. भोपाल.
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर
सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन मंडल, म. प्र. भोपाल

---

2. राज्यपाल के सचिव, म. प्र. राजभवन, भोपाल,
सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल

---

3. मुख्यमंत्री जी/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक.

---

4. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग

5. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाअधिकारी, म. प्र. सचिवालय, भोपाल

6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, म. प्र. भोपाल.

7. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण एवं महाधिवक्ता, म. प्र. जबलपुर.

8. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल.

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

9. प्रमुख सचिव के स्टाफ आफिसर (मास्टर फाइल के लिये)

हस्ता./
(यू. एस. बिसेन)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.